14.03 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY SPEAKER: We will take up Matters under Rule 377.

Title: Need to take effective steps to solve acute drinking water problem in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ग्रीम ऋतु के प्रारम्भ होते ही राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का घोर संकट भयावह रूप से उपस्थित होने जा रहा है। क्योंकि सभी बांधों और तालाबों के सूख जाने तथा भूमिगत जल के निरंतर गिरावट के कारण शहरी क्षेत्रों में भी कहीं 24 घंटे, कहीं, 48 घंटे, कहीं 72 घंटे में आवश्यकता से बहुत कम पानी उपलब्ध हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी भयंकर है। टैंकरों द्वारा जलापूर्ति सर्वथा अपर्याप्त है। अधिकांश हैंडपम्प और ट्यूब वैल सूखने के कगार पर हैं तथा वर्षा नहीं होने तक मई, जून के महीनों में भयावह जल संकट उपस्थित होने वाला है। राजस्थान के कई भागों में फलोराईडयुक्त तथा खारा पानी पीने के कारण नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका है। पशुओं के लिए तो स्थिति और भी अधिक भयावह है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि वह उदारतापूर्वक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पानी उपलब्ध हो सकता है वहां और अधिक हैंडपम्प और नलकूप खोदने के लिए तथा रेलों तथा अन्य साधनों द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने हेतु तुरंत प्रभाव से विशेा युद्धस्तरीय सहायता प्रदान कर राजस्थान की जनता को हलक सूखने से और प्यास से बचाने का प्रयास करें।